मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *368
27.03.2023 को उत्तर के लिए

उद्योगों से वायु प्रदूषण

***368. श्री कृपाल बालाजी तुमाने :**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई मशीन या टावर बनाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में आज तक महाराष्ट्र में भेषज उद्योगों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है और कितना जुर्माना लगाया गया/वसूला गया है;
(ड.) अब तक ऐसे कितने उद्योग बंद हो चुके हैं; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्या भूमिका है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'उद्योगों से वायु प्रदूषण' के संबंध में श्री कृपाल बालाजी तुमाने और श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली, माननीय संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 27.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *368 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, प्रयोग के तौर पर स्मॉग टावर की दो प्रायोगिक परियोजनाएं, एक केन्द्र सरकार द्वारा आनंद विहार में और दूसरी दिल्ली सरकार द्वारा कनॉट प्लेस में संस्थापित की गई हैं। स्मॉग टावरों के कार्य-निष्पादन की निगरानी की जा रही है तथा उनकी आगे की उपयोगिता/नए टावरों का संस्थापन स्मॉग टावरों के निष्पादन परिणामों एवं अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर निर्भर करेगा।

(ग) से (च) गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फार्मास्युटिकल उद्योगों के विरूद्ध कोई शिकायत (शिकायतें) प्राप्त नहीं हुई है (हैं)।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उद्योगों या औद्योगिक केन्द्रों में प्रदूषण नियंत्रण तंत्र स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए मानदण्डों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों/केन्द्रों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) अधिरोपित करने के रूप में दण्डात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। सीपीसीबी ने सीपीसीबी के निदेशों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों/औद्योगिक केन्द्रों के विरूद्ध ऐसी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाने हेतु पद्धति विकसित की है। सीपीसीबी द्वारा 20 रासायनिक उद्योगों के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में कुल 4,89,864 उद्योग हैं। जिनमें से 4,40,989 इकाइयां संचालित हैं और 48,875 उद्योगों ने स्वयं संचालन बंद कर दिया है। मानकों का अनुपालन करने वाली और अनुपालन न करने वाली इकाइयों की संख्या क्रमश: 4,12,823 और 28,166 है। गैर-अनुपालन के लिए 18,941 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस और 2,616 इकाइयों को बंदी निदेश जारी किए गए थे। 158 इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाइयां की गई थीं और उद्योगों द्वारा अनुपालन की राज्य-वार स्थिति **अनुबंध-III** में दी गई हैं।

प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए, सीपीसीबी, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 आदि के तहत विभिन्न निदेश जारी किए गए हैं। सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2016-17 से ऑनलाइन सतत बहि:स्राव/उत्सर्जन निगरानी तंत्र (ओसीईएमएस) से कम्प्यूटर द्वारा सृजित चेतावनियों के आधार पर इन उद्योगों का निरीक्षण किया जा रहा है।

*****

अनुबंध-I

'उद्योगों से वायु प्रदूषण' के संबंध में श्री कृपाल बालाजी तुमाने और श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली द्वारा दिनांक 27.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *368 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

I. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की अनुसूची-I के तहत 80 औद्योगिक सेक्टरों के लिए उद्योग विशिष्ट उत्सर्जन या निस्सरण मानकों की अधिसूचना।

II. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रमश: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

III. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति/संचालित करने की अनुमति और प्राधिकार जारी करना।

IV. एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा अनुमति की शर्तों के अनुपालन और अन्य संचालन संबंधी कार्यकलापों की निगरानी

V. स्वत: विनियामक कार्यतंत्र के माध्यम से निगरानी कार्यतंत्र के सुदृढ़ीकरण और प्रभावी अनुपालन के लिए अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों, गंगा बेसिन के व्यापक रूप से प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई), साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी), जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों और साझा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों को सतत बहि:स्राव/उत्सर्जन निगरानी प्रणालियां संस्थापित करने के साथ-साथ प्रदूषणकारी तत्वों के रिलीज पर सतत निगरानी रखने के निदेश दिए गए हैं।

VI. 254 औद्योगिक सेक्टरों का उनसे संभावित प्रदूषण के आधार पर लाल (61), नारंगी (90), हरे (65) और सफेद (38) श्रेणियों में वर्गीकरण।

VII. देश में सभी प्रकार के प्रदूषण को बढ़ाने (बहि:स्राव/उत्सर्जन मानकों आदि के गैर-अनुपालन) के लिए जिम्मेदार दोषियों के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई।

VIII. माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निदेशों के अनुसार पर्यावरण को प्रदूषित करने/नुकसान पहुंचाने के लिए 'प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान के सिद्धांत' के आधार पर दोषियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाना।

IX. एक दीर्घकालिक, समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत की गई, जिसका उद्देश्य वर्ष 2017-18 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 2025-26 तक पीएम10 की सांद्रता में 40% तक कमी लाने के लक्ष्य के साथ व्यापक ढंग से वायु प्रदूषण में कमी लाना है।

X. दिल्ली-एनसीआर के संबंध में, दिल्ली और एनसीआर तथा आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए दिनांक 14.10.2022 को माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक आयोजित की गई।

XI. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयोजन से दिनांक 13.8.2021 को भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आयोग (सीएक्यूएम) का गठन किया गया।

XII. मंत्रालय (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु नीति निर्माताओं, प्रवर्तन एजेंसियों और विनियामक निकायों की तैयारी का आकलन करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर संबंधित एजेंसियों/संगठनों और मंत्रालयों के साथ बातचीत शुरू की। इन बैठकों में की गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं, जिनमें ईंधन के वैकल्पिक संसाधन और चारे के रूप में धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के विकल्प शामिल हैं :

i. नीतिगत हस्तक्षेपों की संभावना का पता लगाने और मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी, विद्युत, रेलवे जैसे केंद्रीय मंत्रालयों के साथ संयुक्त मंत्रिमंडलीय बैठक।

ii. माननीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने पंजाब सहित एनसीआर राज्यों के मुख्य मंत्रियों, पर्यावरण मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों के साथ बैठकें कीं, तदुपरांत मुख्य सचिवों, राज्य के विभागों और स्थानीय प्रशासनों के साथ आयोग की बैठक आयोजित की गई।

iii. एनसीआर में ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में अनुपूरक बायोमास ईंधन के रूप में पराली के उपयोग को बढ़ावा देना। तत्पश्चात् विद्युत मंत्री द्वारा सभी टीपीपी (एनसीटी के 300 किलोमीटर के भीतर) के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। एनटीपीसी ने अनुपूरक ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए पराली आधारित बायोमास पेलेट के लिए खरीद अनुबंध के टेंडर जारी किए। इससे किसानों को अतिरिक्त आय के साथ पर्यावरण के अनुकूल पराली प्रबंधन में मदद मिलेगी और पराली का दहन कम होगा, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में उत्सर्जन भार में पराली का योगदान कम होगा।

iv. पराली जलाने से रोकने में राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष का संचालन।

v. जैव-अपघटन (सरकार और गैर सरकारी संगठनों) के लिए सिद्ध पूसा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्व-स्थाने पराली प्रबंधन के लिए कवरेज क्षेत्र बढ़ाना।

vi. पंजाब और हरियाणा में पराली के संग्रह और राजस्थान और गुजरात के चारे की कमी वाले क्षेत्रों में चारे की आपूर्ति के लिए कार्यबल का गठन किया गया।

XIII. दिनांक 20 मई, 2022, 22 जून, 2022, 22 जुलाई, 2022, 23 अगस्त, 2022, 22 सितंबर, 2022 और 30 सितंबर, 2022 को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन पर निम्नलिखित एजेंडे के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित हुई :

(i) डीजी सेटों के उपयोग को सीमित करना, क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति।

(ii) 2022 में धान की पराली के दहन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य योजना में संशोधन/अद्यतन और पराली के बाह्य-स्थाने प्रबंधन को बढ़ाना।

(iii) स्व-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए पूसा बायो-डीकंपोजर का विस्तृत उपयोग।

(iv) सड़कों, सड़क के बीच के सेंट्रल वर्ज, फुटपाथ और रास्तों के दायी और खुले क्षेत्र की धूल का प्रबंधन।

(v) बॉयलरों में उपयोग किए जाने वाले जैव-ईंधन और इथेनॉल के उत्पादन के लिए पराली का उपयोग और इस उद्देश्य के लिए बाजार तंत्र का विकास।

(vi) एनसीआर के उद्योगों को सीएनजी/स्वच्छतर ईंधन आदि में हस्तांतरित करना।

XIV. **सीएक्यूएम द्वारा की गई कार्रवाइयां** :

धान की पराली जलाने की रोकथाम एवं नियंत्रण

- पंजाब एनसीआर राज्यों की राज्य सरकारों, जीएनसीटीडी और केंद्रीय मंत्रालयों, ज्ञान संस्थानों अर्थात् आईसीएआर, आईएआरआई, इसरो आदि के साथ व्यापक परामर्श के बाद धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यढांचा तैयार किया गया।
- कार्य ढांचे के प्रमुख घटक
  - धान की पराली के उत्पादन को कम करने की योजनाएं (अन्य फसलों और अन्य किस्मों का विविधीकरण)।
  - स्व-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन
  - बाह्य-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन
  - निगरानी/प्रभावी प्रवर्तन।
  - आईईसी गतिविधियां।
- कार्य ढांचे के आधार पर विस्तृत राज्य विशिष्ट कार्य योजना विकसित करने के लिए वैधानिक निर्देश। वर्ष 2021 के कार्य ढांचे और फील्ड से मिली सीख के आधार पर वर्ष 2022 के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। योजनाओं में धान की पराली के बाह्य-स्थाने उपयोग के लिए एक भविष्यलक्षी नीति शामिल है।
- दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर स्थित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास को कोयले (5-10%) के साथ अनिवार्य रूप से जलाने के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए गए।
- पराली दहन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए गए।
- आग लगने की घटनाओं की निगरानी के लिए मानक इसरो प्रोटोकॉल विकसित किया गया। उपग्रह डेटा का उपयोग करके आग लगने की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए प्रोटोकॉल अपनाने हेतु वैधानिक निर्देश जारी किए गए।
- आग लगने की दैनिक घटनाओं की सीएक्यूएम द्वारा गहन निगरानी-राज्य सरकार के साथ नियमित फोलोअप।
- आयोग ने जुलाई, 2022 में प्रदूषण फैलाने वाले सभी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अल्पकालिक/मध्यम-अवधि/दीर्घकालिक कार्यों के लिए एक व्यापक नीति विकसित की है।

औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण

- एनसीआर में अनुमोदित किए गए स्वच्छ ईंधनों की "मानक" ईंधन सूची को लागू करने और कोयला, डीजल, एलडीओ आदि जैसे अत्यधिक प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए गए।
- उद्योगों के लिए 30.09.2022 तक (उन क्षेत्रों के लिए जहां गैस अवसंरचना उपलब्ध है) और 31.12.2022 तक, जहां गैस अवसंरचना अभी भी उपलब्ध नहीं है, अनुमोदित ईंधनों में अंतरित करने के लिए वैधानिक दिशा-निर्देश दिए गए।

विद्युत उत्पादन सेटों के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश/विनियम

- एलपीजी/प्राकृतिक गैस, ब्यूटेन/प्रोपेन/बायोगैस से चलने वाले जेनरेटर सेटों पर कोई प्रतिबंध नहीं
- जीआरएपी के दौरान केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए डीजी सेटों के सतत उपयोग की अनुमति है।
- डीजी सेटों के उपयोग को कम करने के लिए डिस्कॉम एनसीआर में नियमित रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
- उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों (ईसीडी) के रेट्रो फिटमेंट और दोहरे ईंधन मोड (गैस और डीजल) पर चलने के अधीन जीआरएपी के दौरान सीमित समय के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए डीजी सेटों का विनियमित उपयोग।

(i) सी एंड डी परियोजनाओं से धूल प्रबंधन :

- जारी किए गए वैधानिक निर्देशों के अनुसार **500** वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के भूखंड के आकार पर परियोजनाओं का सी एंड डी वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
- वेब पोर्टल दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कार्यात्मक और राजस्थान में विकास के तहत ।
- प्रस्तावकों द्वारा पोर्टल पर स्व-प्रमाणन।
- वास्तविक स्थितियों की तुलना में पोर्टल पर प्रमाणित मापदंडों का विशेष सत्यापन।
- सी एंड डी साइटों पर विंड ब्रेकर, डस्ट स्क्रीन, पानी का छिड़काव, धूल को रोकने और मिट्टी स्थिरीकरण के उपाय आदि जैसे प्रभावी धूल शमन उपायों से संबंधित विभिन्न नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन।

(i) पटाखों के माध्यम से वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वांछित कार्रवाईयां :

- पटाखों के उपयोग पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय/एनजीटी के आदेशों का सख्ती से कार्यान्वयन।
- जहां कहीं भी पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसे लागू करना।

XV. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा की गई कार्रवाई :

- वायु गुणवत्ता निगरानी और नेटवर्क

  राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, दैनिक वायु गुणवत्ता बुलेटिनों के माध्यम से जनता में प्रसारित किया जा रहा है।

- परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क:

(i) दिल्ली एनसीआर में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया गया और वर्तमान में इसमें 143 स्टेशन (81 सतत और 62 मैनुअल सिस्टम) शामिल हैं। बड़ा कार्यक्षेत्र और बेहतर प्रतिनिधि डेटा अब उपलब्ध है।

(ii) इसके अलावा, पारंपरिक जमीनी स्तर की निगरानी के पूरक हेतु, आईआईटी दिल्ली के सहयोग से उपग्रह आधारित पीएम2.5 निगरानी को एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (एओडी) का उपयोग करके स्थापित किया जा रहा है।

(iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष संचालित किया जाता है, जिसमें पीएम सांद्रता, निगरानी स्टेशनों का लाइव वायु गुणवत्ता डेटा, लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान जैसी विभिन्न सूचनाओं की घंटे दर घंटे की ट्रैकिंग (स्रोत: एसएएफएआर, आईआईटीएम, पुणे) उपलब्ध है।

(iv) एक्यूआई की अन्य मापदंडों के साथ निगरानी की जाती है और विश्लेषण के बाद एक्यूआई बुलेटिन के रूप में वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाते है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु तत्काल कार्रवाई पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सीएक्यूएम को इसके लिंक उपलब्ध करा दिए गए हैं।

o औद्योगिक उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए उपाय:

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2018 में औद्योगिक बॉयलरों और पांच औद्योगिक क्षेत्रों यानी चूना भट्टी, फाउंड्री, चीनी मिट्टी, ग्लास और पुनः गरम करने की भट्ठी के लिए उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है।

(ii) दिल्ली-एनसीआर में लाल श्रेणी के उद्योगों में ओसीईएमएस की स्थापना प्रगति पर है।

(iii) दिल्ली में औद्योगिक इकाइयां पीएनजी/स्वच्छ ईंधन में स्थानांतरित हो गई हैं, जबकि एनसीआर में इकाइयां 31 दिसंबर, 2022 तक पीएनजी/बायोमास में स्थानांतरित हो जाएंगी।

(iv) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रहे सभी ईंट भट्ठों को ज़िग ज़ैग तकनीक में स्थानांतरित करना।

(v) सीपीसीबी ने सकल यांत्रिक शक्ति 800 किलोवाट तक के डीजल पावर जनरेटिंग सेट इंजन के लिए रेट्रो-फिट एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस (आरईसीडी) के उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया तैयार की है।

o पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय

(i) पराली जलाने की अवधि के दौरान सक्रिय अग्नि घटनाओं की दैनिक निगरानी की जाती है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्र में उपयुक्त कार्रवाई के वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर आयोग के साथ रिपोर्ट साझा की जाती है।

(ii) सीपीसीबी ने पराली आधारित गद्दा निर्माण एवं शुष्क संयंत्र के व्यवस्थापन को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश बनाए हैं जिससे आपूर्ति श्रेणी संबंधी मुद्दों को सहायता करते हैं। ईपीसी निधि से 50 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत हुई है। राशि का पूर्ण उपयोग मानकर 1 मिलियन मीट्रिक टन पराली आधारित गद्दे प्रति वर्ष उत्पादन होने की संभावना है।

o गहन निगरानी और जमीनी कार्यान्वयन

(i) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2017 से शीत ऋतु के दौरान वायु प्रदूषण से संबंधित गतिविधियों के वास्तविक परिदृश्य की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन्हें कार्यान्वयन एजेंसियों को संदर्भित करने के लिए समर्पित सीपीसीबी की दलों को सतत रूप से फील्ड में तैनात कर रहा है।

(ii) दिनांक 03.12.2021 के बाद से सीपीसीबी के 40 अधिकारियों को उड़न दस्ते के रूप में दिल्ली, उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों, और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में इकाइयों/स्थानों का अप्रकट निरीक्षण करने के लिए तैनात किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

- अन्य कार्रवाइयां

  जन सहभागिता के लिए समर्पित मीडिया कॉर्नर, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट बनाए गए हैं और शिकायत निवारण तंत्र समीर ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (ट्विटर और फेसबुक) पर शिकायतों की बारीकी से निगरानी कर रहा है। समीर और सोशल मीडिया की शिकायतों का समाधान प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है और निवारण की स्थिति संबंधित एजेंसियों के साथ साझा की जा रही है।

(i) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) जिसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, दैनिक वायु गुणवत्ता बुलेटिनों के माध्यम से जनता में प्रसारित किया जा रहा है।

(ii) परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क : दिल्ली एनसीआर में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया गया और वर्तमान में इसमें 143 स्टेशन (81 सतत और 62 मैनुअल सिस्टम) शामिल हैं। व्यापक कवरेज और बेहतर प्रतिनिधि डेटा अब उपलब्ध है।

(iii) इसके अलावा, पारंपरिक जमीनी स्तर की निगरानी के पूरक के रूप में, आईआईटी दिल्ली के सहयोग से एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (एओडी) का उपयोग करके उपग्रह आधारित पीएम 2.5 निगरानी स्थापित की जा रही है।

(iv) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष संचालित किया जाता है, जिसमें पीएम सांद्रता, निगरानी स्टेशनों का लाइव वायु गुणवत्ता डेटा, लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान जैसी विभिन्न सूचनाओं की घंटे दर घंटे की ट्रैकिंग उपलब्ध है। (स्रोत: एसएएफएआर, आईआईटीएम, पुणे)

(v) एक्यूआई की अन्य मापदंडों के साथ निगरानी की जाती है और विश्लेषण के बाद एक्यूआई बुलेटिन के रूप में वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाते हैं। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु तत्काल कार्रवाई पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सीएक्यूएम को इसके लिंक उपलब्ध करा दिए गए हैं।

****

अनुबंध-II

'उद्योगों से वायु प्रदूषण' के संबंध में श्री कृपाल बालाजी तुमाने और श्रीमती भावना गवली (पाटील) द्वारा दिनांक 27.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *368 के भाग (ग) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

20 रासायनिक उद्योगों की सूची जिन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई

क्र.सं.	उद्योग का नाम	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) निदेश जारी करने की तिथि	लगाई गई ईसी	प्राप्त ईसी
1.	मैसर्स अमरज्योत केमिकल कॉर्पोरेशन, एन-211/2/3, एमआईडीसी, तारापुर, जिला-ठाणे, पालघर-401501, महाराष्ट्र	16.05.2019	23,60,000 /- रु.	23,60,000 /- रु.
2.	मैसर्स न्यारा एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में एस्सार ऑयल लिमिटेड) (रिफाइनरी डिवीजन), जामनगर-ओखा हाईवे, वाडीनार गांव, जिला द्वारका-361305, गुजरात	26.12.2018	61,20,000 /- रु.	61,20,000 /- रु.
3.	मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (गुजरात रिफाइनरी), पीओ जवाहरनगर, वडोदरा-391320, गुजरात	07.01.2019	21,60,000 /- रु.	21,60,000 /- रु.
4.	मैसर्स मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मनाली, माधवरम तालुक, जिला तिरुवल्लूर 600060, तमिलनाडु	02.01.2019	1,93,20,000 /- रु.	1,93,20,000 /- रु.
5.	मैसर्स तेल और गैस निगम लिमिटेड, (तातीपका मिनी रिफाइनरी), नगरम, मामिदिकुदुरुमंडल, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश - 533247	09.01.2019	73,20,000 /- रु.	73,20,000 /- रु.
6.	मैसर्स दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के-1 से के-8, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, तलोजा जिला-रायगढ़-410208, महाराष्ट्र	08.02.2019	67,80,000 /- रु.	67,80,000 /- रु.
7.	मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई रिफाइनरी, बी.डी. पाटील मार्ग, माहुल, चेंबूर, मुंबई-400 074, महाराष्ट्र	23.04.2019	25,20,000 /- रु.	25,20,000 /- रु.
8.	मैसर्स विविड ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नं. डी-21/1, एमआईडीसी तारापुर तालुक, जिला पालघर, महाराष्ट्र-401506	15.05.2019	36,00,000 /- रु.	36,00,000 /- रु.
9.	राठी डाई केम प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 40, एमआईडीसी, धताव रोहा, जिला रायगढ़ - 402116, महाराष्ट्र	03.03.2020	46,40,000/- रु.	46,40,000/- रु.

10.	मैसर्स नर्मदा बायो-केम लिमिटेड, प्लॉट नंबर 268, गांव कल्याणगढ़, बावला-बगोदरा नेशनल हाईवे, बावला, अहमदाबाद-386470, गुजरात	23.04.2020	18,40,000/- रु.	18,40,000/- रु.
11.	मैसर्स चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली गांव, माधवरम तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु - 600068	14.01.2019	74,70,000/- रु.	74,70,000/- रु.
12.	मैसर्स न्यूट्रा स्पेशलिटीज प्रा. लिमिटेड (वर्तमान में मैसर्स वेंकटनारायण एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड), चंद्रपड़िया (वी), विंजामुर (एम), एसपीएसआर नेल्लोर जिला - 524228, ए.पी.	25.11.2019	37,20,000/- रु.	37,20,000/- रु.
13.	मैसर्स बायोकेमिकल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11-6-2029, फेज- II, एसवीसीआईई बालानगर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500037	01.04.2019	20,70,000/- रु.	20,70,011/- रु.
14.	मैसर्स पंजाब अल्कलीज़ एंड केमिकल्स लिमिटेड, नांगल - ऊना रोड, नया नांगल, जिला रोपल, पंजाब - 140126	27.03.2019	31,80,000/- रु.	31,80,000/- रु.
15.	मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड, पाता पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जिला औरैया, उ.प्र. - 206241	28.12.2018	37,12,500/- रु.	37,12,500/- रु.
16.	मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, लेपेटकाटा, डिब्रूगढ़, असम - 786006	28.12.2018	61,70,000/- रु.	61,70,000/- रु.
17.	मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड, गेल कॉम्प्लेक्स, विजयपुर, जिला गुना, मध्य प्रदेश - 473112	25.02.2019	8,70,000/- रु.	8,70,000/- रु.
18.	मैसर्स आई.जी. पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2, तलोजा औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, तलोजा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र - 410208	21.12.2018	81,37,500/- रु.	81,37,500/- रु.
19.	मैसर्स असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, नामरूप, पी.ओ. परबतपुर, जिला- डिब्रूगढ़, असम - 786623	25.02.2019	1,03,20,000/- रु.	शून्य (ईसी जमा नहीं करने के कारण दिनांक 26.11.2020 को बंदी निदेश जारी किया गया)
20.	मैसर्स नोवा डाईस्टफ इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 251, जीआईडीसी, पांडेसरा, सूरत, गुजरात	18.08.2022	1365000/- रु.	13,65,000/- रु.

अनुबंध-III

'उद्योगों से वायु प्रदूषण' के संबंध में श्री कृपाल बालाजी तुमाने और श्रीमती भावना गवली (पाटील) द्वारा दिनांक 27.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *368 के भाग (ग) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में उद्योगों की अनुपालन स्थिति										
क्र.सं.	एसपीसीबी/पीसीसी	उद्योगों की कुल संख्या	स्वयं बंद कर दिए गए उद्योगों की संख्या	संचालित उद्योगों की संख्या	पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों की संख्या	उन उद्योगों की संख्या जिनके विरुद्ध पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन न करने पर कार्रवाई की गई है			
							कारण बताओ नोटिस	बंद करने के निदेश	दर्ज किए गए कानूनी मामले	प्रक्रियाधीन कार्रवाई
1	अंडमान और निकोबार	464	0	464	176	288	202	1	0	85
2	आंध्र प्रदेश	9118	560	8558	8368	190	135	33	2	20
3	अरुणाचल प्रदेश	917	98	819	526	293	20	273	0	0
4	असम	5497	103	5394	4125	1269	748	5	0	516
5	बिहार	9885	15	9870	9812	58	43	2	1	12
6	चंडीगढ़	2074	671	1403	1403	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	7081	1740	5341	4536	805	325	412	68	0
8	दमन और दीव	3837	320	3517	3469	48	33	2	0	13
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	गोवा	2400	2	2398	2280	118	118	0	0	0
11	गुजरात	35887	2401	33486	28881	4605	3323	313	4	965
12	हरियाणा	12307	1184	11123	10956	167	30	114	23	0
13	हिमाचल प्रदेश	11471	1036	10435	10118	317	317	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	7324	1548	5776	5749	27	0	27	0	0
15	झारखंड	7565	351	7214	5454	1760	798	0	30	932
16	कर्नाटक	37368	14442	22926	21220	1706	1653	25	2	26
17	केरल	75130	49	75081	74402	679	404	16	0	259
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	मध्य प्रदेश	21613	4720	16893	16625	268	63	10	11	184
20	महाराष्ट्र	88505	1651	86854	83811	3043	2167	668	3	205
21	मणिपुर	347	0	347	347	0	0	0	0	0
22	मेघालय	970	51	919	900	19	9	6	4	0
23	मिजोरम	811	364	447	435	12	3	0	0	9
24	नगालैंड	1013	92	921	921	0	0	0	0	0
25	ओडिशा	7117	417	6700	6287	413	60	239	0	114
26	पुदुचेरी	4303	415	3888	3872	16	12	2	0	2
27	पंजाब	25374	2906	22468	16175	6293	4452	85	0	1756
28	राजस्थान	41451	6478	34973	31177	3796	3176	102	0	518
29	सिक्किम	528	0	528	528	0	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	38813	3290	35523	35290	233	140	70	0	23
31	तेलंगाना	8647	1249	7398	6908	490	329	154	0	7
32	त्रिपुरा	2295	242	2053	1691	362	318	35	0	9
33	उत्तर प्रदेश	13423	2091	11332	10449	883	58	21	10	794
34	उत्तराखंड	6329	389	5940	5932	8	5	1	0	2
35	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		**489864**	**48875**	**440989**	**412823**	**28166**	**18941**	**2616**	**158**	**6451**

*****